

विकास प्राधिकरणवार अधिसूचनाएँ आदि

Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 (Act No. I of 1951) and in partial modification of G. O. No. 68/11I-2 Rajaswa-I, dated July 1, 1983 and other subsequent orders issued in this regard, the Governor is pleased to direct that all such properties as are mentioned in clauses (1) to (6) of sub-section (1) of Section 117 which were included in various local authorities and the Gaon Sabhas under the aforesaid order and other subsequent orders concerned and which had been transferred to new constitution, reconstitution or change in boundaries, shall be included in local authorities or Gaon Sabhas different from their erstwhile authorities or Gaon Sabhas shall, with effect from the date of issue of this Order, stand transferred to, and vest in, the later local authorities or Sabhas, as the case may be, in which they be found included at the time of issue of this Order.

2. The above orders will have no effect on the properties vested in the Gram Vikas Development Authority under G.O. No. U.O. 752/Rajaswa-I/1978, dated 5th September, 1978.

1. अयोध्या-फेजाबाद

(1)

उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास भवुमांग—5 की अधिसूचना संख्या 4490/11—
5—85—99—डी० ए०—78, दिनांक 2 नवम्बर, 1985।

राजिक राज्य सरकार की राय में फेजाबाद जनपद के निम्नलिखित क्षेत्र का सुनिश्चित
करने के लिए वावश्यक है;

कालौद, बबू, उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियम और संशोधित उत्तर प्रदेश नगर-योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11, सन् 1973) की धारा 3 के अधीन जाति का प्रयोग करके, राज्यपाल द्वारा विकास के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से निम्नलिखित क्षेत्र को अयोध्या-फेजाबाद क्षेत्र समिलित करते हैं:

अयोध्या-फेजाबाद विकास क्षेत्र

जब्दी क्षेत्र और नी सेना, स्थल सेना और वायु सेना के किसी प्राधिकारी के द्वारा किये जाने के द्वारा अधियक्षीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा अधियक्षीय या पट्टौ पर ली गई जाति को छोड़ कर फेजाबाद-अयोध्या विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत फेजाबाद मुनिसिपलिटी की सीमा के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र एवं उसके चारों ओर केजाबाद जिले के निम्नलिखित 65 ग्रामों को समिलित करते हुए आने वाला क्षेत्र :

प्राम

ब्लाक

(1) इतादिमपुर-दिली-उपरहार

सोहाबल

(2) जमनपुर

सोहाबल

उपर सरकारी असाधारण गजट, दिनांक 2-11-1985, विद्यायी परिणिष्ट, भाग—4
संख्या (ब) में प्रकाशित।

1	2	3
(3) फिरोजपुर उपरहार	... मसौधा	(3)
(4) चिरा मोहमदपुर	... सोहाबल	(3)
(5) सलारपुर	... मसौधा	(4)
(6) फतेहपुर-सरैया-उपरहार	... "	(4)
(7) हरीपुर जलालाबाद	... "	(4)
(8) कोट सरावां	... "	(4)
(9) रायपुर	... "	(4)
(10) घाटमपुर	... "	(4)
(11) मुस्ताजनगर	... "	(4)
(12) भीखनपुर	... "	(4)
(13) हाजीपुर चिहपुर	... "	(4)
(14) बनबीरपुर	... "	(4)
(15) अबूसराय	... "	(5)
(16) जगदीशपुर	... "	(5)
(17) खोजनपुर	... "	(5)
(18) पहाड़ गंज	... "	(5)
(19) गढ़वपुर	... "	(5)
(20) उतुरु	... "	(5)
(21) हासापुर	... "	(5)
(22) पलिया शाहबादी	... "	(5)
(23) मऊ यदुवंशपुर	... "	(6)
(24) माधोपुर	... "	(6)
(25) खानपुर मसौदा	... "	(6)
(26) टोनिया	... "	(6)
(27) डाभा सेमर	... "	(6)
(28) चान्दपुर	... "	(6)
(29) पूरा हुसैन खां	... "	(6)
(30) जतौरा	... "	(6)
(31) गन्जा -	... "	(6)
(32) मलिकपुर	... "	(6)
(33) काजीपुर जमीन मलिकपुर	... "	(6)
(34) गोपालपुर	... "	(6)
(35) शिवदासपुर	... "	(6)
(36) विरोली	... "	(6)

1	2
(37) होजपुर	मसीधा
(38) घरमपुर सआदत	पूरा बाजार
(39) कुण महा	"
(40) शमशुद्दीनपुर	"
(41) मिर्जापुर माफी	मसीधा
(42) नन्दापुर	"
(43) भीखापुर	"
(44) कोरखाना	"
(45) देवकाली	"
(46) सुलतानपुर	"
(47) शाहजहांपुर	"
(48) फैजाबाद	"
(49) रानोपाली	"
(50) सहनवां	पूरा बाजार
(51) आशापुर	पूरा बाजार
(52) मक्खापुर	मसीधा
(53) हैवतपुर	"
(54) जियनपुर	"
(55) बाग बिज़सी	"
(56) काजीपुर चितवां	"
(57) आसफ बाग उपरहार (राठकपुर आसफबाग)	"
(58) तकपुर	"
(59) कुड़ा केशवपुर उपरहार	पूरा बाजार
(60) शाहेनबाजपुर मांझा	"
(61) शाहनवाजपुर उपरहार	"
(62) आसफबाग मांझा	"
(63) बासपुर उफं जैसिहपुर	"
(64) बरहठा मांझा	"
(65) मोहतरिम नगर उपहार	"

(2)

उत्तर प्रदेश सरकार, नगर विकास अनुभाग—5 की अधिसूचना 23 संख्या 6212/
11—5—85—99—टी० ए०—78, दिनांक 2 नवम्बर, 1985²²

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिकनियम (परिकारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम,
1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30, सन् 1974) द्वारा यथा पुनः अधिनियमित और

22. उ० प्र० सरकारी असाधारण गजट, दिनांक 2-11-1985, विधायी परिषिष्ट, भाग—4
खण्ड (ब) में प्रकाशित।